कर दिया है।

दैनिक जागरण 22-08-15

अधूरे इंदिरा आवास के लिए 30 हजार

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार पुराने अधूरे पड़े इंदिरा आवासों के निर्माण को मुकम्मल करने के लिए अपने संसाधन से 30-30 हजार रुपये देगी। पहली अप्रैल 2004 से पूर्व स्वीकृत इंदिरा आवास के लिए दो किस्तों में यह राशि दी जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभुकों को ही इसका लाभ मिलेगा। 450 करोड़ की लागत से यह योजना चलेगी।

लागू हुई मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना

मजदूरी का भुगतान बैंक व पोस्टऑफिस से

पटना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अब लाभुकों को बैंक एवं पोस्टऑफिस, दोनों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

लिंटर तक निर्माण पूरा होने के बाद अधूरे छोड़ दिए गए आवासों की छत ढलाई के लिए पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये की राशि मिलेंगी। छत ढलाई के बाद फोटोग्राफी होगी, और फिर दूसरे किस्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एसएम राजू ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा है कि इंदिरा आवास के प्रावधान के मुताबिक, एक बार सहायता राशि स्वीकृत हो जाने के बाद अतिरिक्त राशि नहीं दी जा सकती। न ही अपूर्ण घरों को पूर्ण करने के लिए अलग से राशि दी जा सकती है।

पहली अप्रैल, 2004 से पहले इंदिरा आवास के लिए मात्र 20,000 रुपये मिलते थे जो कि बहुत कम थे। इस कारण भी बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण अधूरा रहा। इसी कारण राज्य सरकार ने अपने खर्च से ऐसे आवासों के निर्माण को मुकम्मल करने के लिए मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना शुरू की है।